

**स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश**

संख्या-6/एफ1-304/17 श्र.सं.-  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

127

प्रेषक,

गोपाल मीणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/भोजपुर/मधुबनी/नालन्दा ।

पटना, दिनांक:- 18-1-18

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू. 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

| क्र. सं. | 37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष | जिला का नाम | बाल श्रमिकों की संख्या | आवंटित राशि | अभ्युक्ति                                                            |
|----------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                           | 3           | 4                      | 5           | 6                                                                    |
| 1        | 0103.37.01 अनुग्रह अनुदान   | मोतिहारी    | 08                     | 40000       | श्रम अधीक्षक, मोतिहारी के पत्रांक-1104 दिनांक-27.12.17 के आलोक में । |
| 2        | तदैव                        | भोजपुर      | 06                     | 30000       | श्रम अधीक्षक, भोजपुर के पत्रांक-977 दिनांक-28.12.17 के आलोक में ।    |
| 3        | तदैव                        | मधुबनी      | 10                     | 50000       | श्रम अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक-28 दिनांक-06.01.18 के आलोक में ।     |
| 4        | तदैव                        | नालन्दा     | 07                     | 35000       | श्रम अधीक्षक, नालन्दा के पत्रांक-17 दिनांक-08.01.18 के आलोक में ।    |
| कुल योग  |                             |             | 31                     | 155000      |                                                                      |

कुल आवंटित राशि ₹ 1,55,000/- (₹ एक लाख पचपन हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि0 दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि0 दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय। आवंटित राशि से उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांविता किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांविता नहीं किया गया हो ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय का व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निकासी के उपरांत अविलंब उपलब्ध करा दी जाय ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,  
18/1/18  
(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- 127 पटना, दिनांक 18-1-18  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/1/18

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

\*स्पीड  
पोस्ट

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- 127 पटना, दिनांक 18-1-18  
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त  
/संबंधित जिला पदाधिकारी/\*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित  
श्रम अधीक्षक/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-11 एवं  
17 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-09.01.18 एवं 11.01.18 के आलोक में/बजट शाखा, प्रशाखा-6 (श्रम पक्ष) एवं  
व्यय विवरणी शाखा, प्रशाखा-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण पत्र का संधारण संबंधित शाखा प्रशाखा-01 द्वारा किया जायेगा ।

17/1/18

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-304/17 श्र0सं0- 127 पटना, दिनांक 18-1-18  
प्रतिलिपि:- आई.टी.मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड  
करने हेतु प्रेषित।

17/1/18

(गोपाल मीणा)  
श्रमायुक्त, बिहार।